

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
रामेश्वर बनाम गुणेश्वर

सम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 36/2022

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रामेश्वर

पिता श्री उकारलाल शाहजा

निवासी- अरनियापंच तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम
अरनियापंच स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 651

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.58 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम अरनियापंच स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 651

कुल कीता 1 रकबा 0.58 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रुपये अक्षरे पंच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर विश्वा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



पालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

सरिस्ता/प्रापत्र 36/2024 49

दिनांक 25/01/24

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : शम्भुवर पिता उकांरलाल जी ब्राह्मण P10 अरनिभापंच

- बनाम — कबी
- 1- शम्भुवर पिता उकांरलाल जी ब्राह्मण P10 अरनिभापंच
 - 2- लक्ष्मीनारायण पिता हेमराज शर्मा P10 अरनिभापंच
 - 3- गोपाल पिता हीरालाल जी लुब्यार P10 अरनिभापंच
- विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम अरनिभापंच खतौनी स 350
संवत् 2068-2071 में अकित आराजी नम्बर 651

कुल कित 1 रकबा 0.58 है। भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रूपये 500=00 अक्षर पांच सौ रुपय मात्र प्रार्थी
बहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

(रजना सुन्दर विस्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)